कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड़, देहरादून— 248001

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551

election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या—2684/XXV—12(11)/2018 देहरादून : दिनांक 20 दिसम्बर, 2021

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातरंण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास,
रिंग रोड़, देहरादून।

विषय— **सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 की धारा—6(3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुरोधकर्ता श्री आलोक कुमार शर्मा, पुत्र पं0 राधेश्याम शर्मा, मेन बाजार, मो. किला कस्बा, मंगलौर, जिला हरिद्वार का अनुरोध पत्र दिनांक—10.12.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 17—12—2021 को प्राप्त हुआ है की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अनुरोध पत्र में चाही गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

B-S. Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

पृ0संख्या /XXV—12(11)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— श्री आलोक कुमार शर्मा, पुत्र पं0 राधेश्याम शर्मा, मेन बाजार, मो. किला कस्बा, मंगलौर, जिला हरिद्वार मो0 नं0—9997044518 को सूचनार्थ प्रेषित।

B S Rawat

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

17/12/21

सेवा में,

श्रीमान सचिव निर्वाचन आयोग / लोक सूचना अधिकारी

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
पत्र प्राप्ति का दिनांक– 17 / 12 / 21
रजिस्टर क्रमांक– 89 पत्रावली संख्या–

विषय :– लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना दिये जाने के संबंध में

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी ने नगर पालिका परिषद मंगलौर (हरिद्वार) में निर्वाचित दो सभासदों (वार्ड नम्बर चार मोहल्ला मलानपुरा से श्री इकरामुल हक तथा वार्ड नम्बर 10 मोहल्ला कटहडा लालबाडा से श्री अहसान) के खिलाफ तीसरे बच्चे को छुपाकर नामांकन कर चुनाव लडने की शिकायत आपके कार्यालय में 25 अगस्त 2021 को दर्ज कराई थी। इस संबंध में आपके विभाग द्वारा की गई कार्यवाही / जांच से संबंधित समस्त अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आवेदन शुल्क के रूप में 10 रु मूल्य का भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 54 एफ 741195 संलग्न है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क हो तो अवगत कराने का कष्ट करें।

धन्यवाद

नोटः– शिकायती पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

दिनांक 10 / 12 / 2021

प्रार्थी
आलोक कुमार शर्मा
पुत्र पं0 राधेश्याम शर्मा
मेन बाजार, मो. किला
कस्बा मंगलौर
जिला हरिद्वार
मो:– 9997044518

Addl. C.E.O

(सौजन्या)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड 17/12/21

भारतीय डाक
India Post

सेवा में,

श्रीमान सचिव निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड शासन

विषयः– **नगर पालिका परिषद मंगलौर के निर्वाचित दो सभासदों द्वारा अपने नामांकन में तीसरे बच्चे के तथ्यों को छुपाकर कानून का उल्लंघन व धोखाधडी करने के संबंध में**

महोदय,

निवेदन है कि संविधान में नगर पालिका एक्ट के मुताबिक नगर पालिका परिषद अध्यक्ष व सभासद का चुनाव लडने के इच्छुक उम्मीदवार को यदि अप्रैल 2003 के बाद तीसरा बच्चा पैदा हुआ हो तो चुनाव लडने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। नगर पालिका परिषद मंगलौर में नवम्बर 2018 में संपन्न हुए निकाय चुनाव में मंगलौर के वार्ड नम्बर 10 मोहल्ला कटहडा लालबाडा से श्री अहसान, सभासद पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपने तीसरे बच्चे (पुत्र अर्श) जिसका जन्म आंगबाडी रिकार्ड के मुताबिक दो जनवरी 2017 को हुआ है, को छुपाकर नामांकन कराया था, जबकि उनके एक पुत्र व एक पुत्री पहले से मौजूद हैं।

ऐसे ही वार्ड नम्बर 04 मोहल्ला मलानपुरा से श्री इकरामुल हक भी नवम्बर 2018 में संपन्न निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद के सभासद पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने भी अपने तीसरे बच्चे (पुत्र इजमामुल हक) के तथ्यों को छुपाकर नामांकन कराया था। इजमामुल हक का जन्म आंगनबाडी रिकार्ड के मुताबिक 26 मई 2018 को हुआ है। पुत्र इजमामुल हक से बडी उनके दो पुत्रियां पहले से मौजूद हैं।

उक्त दोनों सभासदों ने अपने नामांकन में तीसरे बच्चे के तथ्यों को छुपाकर कानून का उल्लंघन कर धोखाधडी की है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त दोनों सभासदों के खिलाफ कानून का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही करते हुए नगर पालिका परिषद मंगलौर बोर्ड में उनकी सदस्यता को समाप्त करने की कृपा करें।

धन्यवाद

नोटः– आंगनबाडी रिकार्ड की छायाप्रति संलग्न है।

भवदीय

दिनांकः– 25 / 08 / 2021

आलोक कुमार शर्मा
पुत्र पं0 राधेश्याम शर्मा
मेन बाजार, किला
मंगलौर (हरिद्वार)